

	<p>उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (उ० प्र० सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001</p>
---	---

संख्या: 1250/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-43-मा०सं०(04)/2008

दिनांक 14 अक्टूबर 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० वे०आ०-2-287-59(एम)/08 दिनांक 16.03.2010 की अनुरूपता में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं:-

1. उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.1996 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 6500-200-10500-250-11000 के सापेक्ष दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन बैंड-2 (9300-34800) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रू० 4400/- के स्थान पर वेतन बैंड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रू० 4800/- दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य किया जाता है।
2. उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं तदनुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान कार्यालय ज्ञाप सं०: 320/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43- मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28.02.2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
3. उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निगमादेश सं०: 320/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43- मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28.02.2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. तदनुसार कार्यालय ज्ञाप सं०: 320/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28.02.2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त आदेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1250 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, मा०सं०/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/ नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

dsms

कृ०प०उ०

5. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक/अधी०अभि०(मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कट फाइल।

आज्ञा से,

drms

(एम०डी० मिश्र)

उप सचिव (मा०सं०-04)